

मुकदमा संख्या 33/18 विविध

2018/00136

ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स गंगाशहर रोड़ शाखा बीकानेर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जयनारायण व्यास नगर शाखा, बीकानेर

—प्रार्थी



: ब न अ म :

1. मैसर्स श्री करणी इन्दर मां प्लॉस्टर जरिये प्रो. श्री शिवराज पुत्र श्री राजूदान जाति चारण खसरा नम्बर 7, चक 5, खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2. श्री शिवराज पुत्र श्री राजूदान जाति चारण प्रो. मैसर्स करणी इन्दर मां प्लॉस्टर निवासी गेधा खुर्द तहसील मकराना जिला नागोर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002

उपस्थिति:—

1. प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र रंगा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण हाजिर नहीं।



: आ दे श :

दिनांक 27.06.2018

1. प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र एवं उनके अधिवक्ता के कथनानुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी को ऋण सुविधा के तौर पर दिनांक 01.9.2012 को रूपये 24,00,000/- की राशि उपलब्ध करवाई थी एवं उक्त ऋण की एवज में अप्रार्थी/ऋणी द्वारा अचल संपत्ति श्री शिवराज पुत्र श्री राजूदान चारण के नाम वाके खसरा नं. 7 चक 5 खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर तादादी 2500 वर्गमीटर एवं प्लांट एण्ड मशीनरी सहित को प्रार्थी बैंक के हक में उक्त ऋण के पेटे साम्यिक बंधक रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी/बैंक के साथ हुए अनुबंध के नियमानुसार ऋण राशि नहीं चुकाये जाने पर अप्रार्थी/ऋणी के खाते को दिनांक 30.06.2015 को एन.पी.ए. धोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के खाते में रूपये 21,56,813.51/- दिनांक 30.06.15 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बैंक के विरुद्ध बकाया निकलते हैं। अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते पर एन.पी.ए. लागू हो जाने पर जापानिगन प्रो. पारा 13(2) के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी/जमानती को दिनांक 07.07.2015 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु इसके पश्चात् माननीय न्यायालय में दायर इस प्रार्थना—पत्र की दिनांक तक अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व ना ही बंधक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी/ऋणी/जमानती द्वारा प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे। प्रार्थी बैंक द्वारा इस प्रार्थना—पत्र के समर्थन में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शपथ—पत्र भी प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बीकानेर

2. प्रार्थी बैंक के इस प्रार्थना—पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीपक्ष को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के उपस्थित ना आने पर प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की इकतरफा बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी/ बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद अप्रार्थीगण/ऋणी बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं। इस पर अप्रार्थीगण/ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी बकाया राशि प्रार्थी बैंक के यहां जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमारे द्वारा प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के यहां से ऋण के रूप में उपर्युक्त ऋण सुविधा प्राप्त की थी। प्राप्त ऋण सुविधा की एवज में अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा पैरा संख्या 1 में उल्लेखित सम्पति साम्यिक बंधक रखी गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बकाया सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है। बकाया राशि जमा करवाये जाने के संबंध में प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण ऋण राशि को अनुबंध के अनुसार वापिस जमा करवाने में विफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त ऋण की एवज में पैरा नम्बर 1 में वर्णित सम्पति प्रार्थी बैंक के यहां बंधक है को प्रार्थी बैंक अपने कब्जे में लेने की अधिकारणी है। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण/ऋणी, प्रार्थी/ बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहे हैं। अतः प्रार्थी/ बैंक के प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण/ऋणी व्यतिक्रमी मानते हुए प्रार्थी/बैंक का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरा संख्या 1 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पति का पजेशन प्रार्थी/बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी/बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण को देवे।

6. आदेश आज दिनांक 27.06.2018 को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Mu*  
( डॉ.एन.के.गुप्ता )  
जिला मजिस्ट्रेट एव  
जिला कलक्टर, बीकानेर  
जिला कलक्टर, बीकानेर